न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 21/2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 04.04.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023/128

वादीगण :—

1. श्रीमती विद्यादेवी पत्नी मदनलालजी
2. निरमा पुत्री मदनलालजी उर्फ निर्मला पत्नि रमेश कुमार
3. दिनेश पुत्र मदनलालजी
4. भारती पुत्री मदनलालजी
5. रिंकु पुत्री मदनलालजी
6. रेखा पत्नी माणकचन्दतजी
7. सुमित्रा पुत्री माणकचन्दजी
8. मनोज पुत्र माणकचन्दजी
9. कुनाल पुत्र माणकचन्दजी
10. ललीता पत्नी गौतमचन्दजी
11. तनिष पुत्र गौतमचन्दजी
12. नक्ष पुत्र गौतमचन्दजी

वादीगण संख्या 11 व 12 नाबालिग जिसके कुदरती वली उसकी माता ललीता, जातियान— कुमावत, निवासीगण— कुशालपुरा, तहसील— रायपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. तारा पुत्र मेगाजी
2. लिखमा पुत्र नारायणजी
3. सुरा पुत्र नारायणजी
4. रतना पुत्र नारायणजी
5. माला पुत्र नारायणजी
6. तुलछा पुत्र सरदारजी
7. खेता पुत्र सरदारजी
8. सोहन पुत्र सरदारजी
9. बाबुलाल पुत्र सरदारजी
10. गोकुलराम पुत्र सरदारजी
11. बगदीदेवी पुत्री सरदारजी
12. लिछमी पुत्री सरदारजी
13. सैनकी पुत्री सरदारजी
14. कमलादेवी पुत्री सरदारजी
15. सुरेशकुमार पुत्र सरदारजी
16. छैला पुत्र मोटाजी
17. केली पत्नी चुतराजी
18. गीतादेवी पुत्री चुतराजी
19. मुथरादेवी पुत्री चुतराजी
20. चम्पादेवी पुत्री चुतराजी
21. मदनलाल पुत्र चुतराजी
22. माणकचन्द पुत्र चुतराजी
23. गौतमचन्द पुत्र चुतराजी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

जातियान– कुम्हार, निवासीगण– कुशालपुरा, तहसील– रायपुर,

24. मंजुदेवी पत्नी रामेश्वरलाल, जाति– कुमावत, निवासी– रायपुर, तहसील– रायपुर,
25. कमलेश गुर्जर पुत्र नाथुराम गुर्जर, जाति– गुर्जर, निवासी– मेसिया, तहसील– रायपुर,
26. उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय–रायपुर,
27. तहसीलदारजी, तहसील कार्यालय– रायपुर,
28. राज्य सरकार जरिये जिलाधीश महोदय– पाली

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भागीरथ तैली अधिवक्ता वादीगण

2 प्रतिवादीगण श्री जसवंत सिंह सांखला एवं शेष अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक: 30.10.2023

वादी की ओर से वादी अधिवक्ता द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 23 की पुश्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम कुशालपुरा, पटवार हल्का– कुशालपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पिपलियाकलॉ, तहसील– रायपुर, जिला– पाली आई हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खाता संख्या नया /पुराना	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
509/183	338	5.0990	चाही दोयम
	339	0.9065	चाही दोयम
	344	4.1602	चाही दोयम
	कुल खसरा 03 कुल रकबा	10.1657	

खाता संख्या नया /पुराना	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
508/183	341	5.8760	चाही दोयम

खाता संख्या नया /पुराना	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
196/183	340	0.1295	गै.मु. बेरा

उपरोक्त कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसकी वर्तमान एवं पुरानी जमाबन्दिया वाद के साथ पेश की जा रही है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावे। वर्णित भूमि वादीगण के पूर्वज मोटा पुत्र दल्ला की है, नारायण पुत्र भीका नाम का कोई व्यक्ति नही रहा है। नारायण भी मोटा का पुत्र था। उक्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 से लगायत 5 प्रत्येक का 361/23310 हिस्सा, वादी संख्या 6 से लगायत 9 प्रत्येक का 361/116550 हिस्सा, वादीगण संख्या 10 का 361/93240 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 11,12 प्रत्येक का 361/93240 हिस्सा आता है, उक्त हिस्से अनुसार वादीगण मौके पर काबिज है, तथा कब्जा काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 23 की वंश वंशावली निम्नानुसार है :–

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

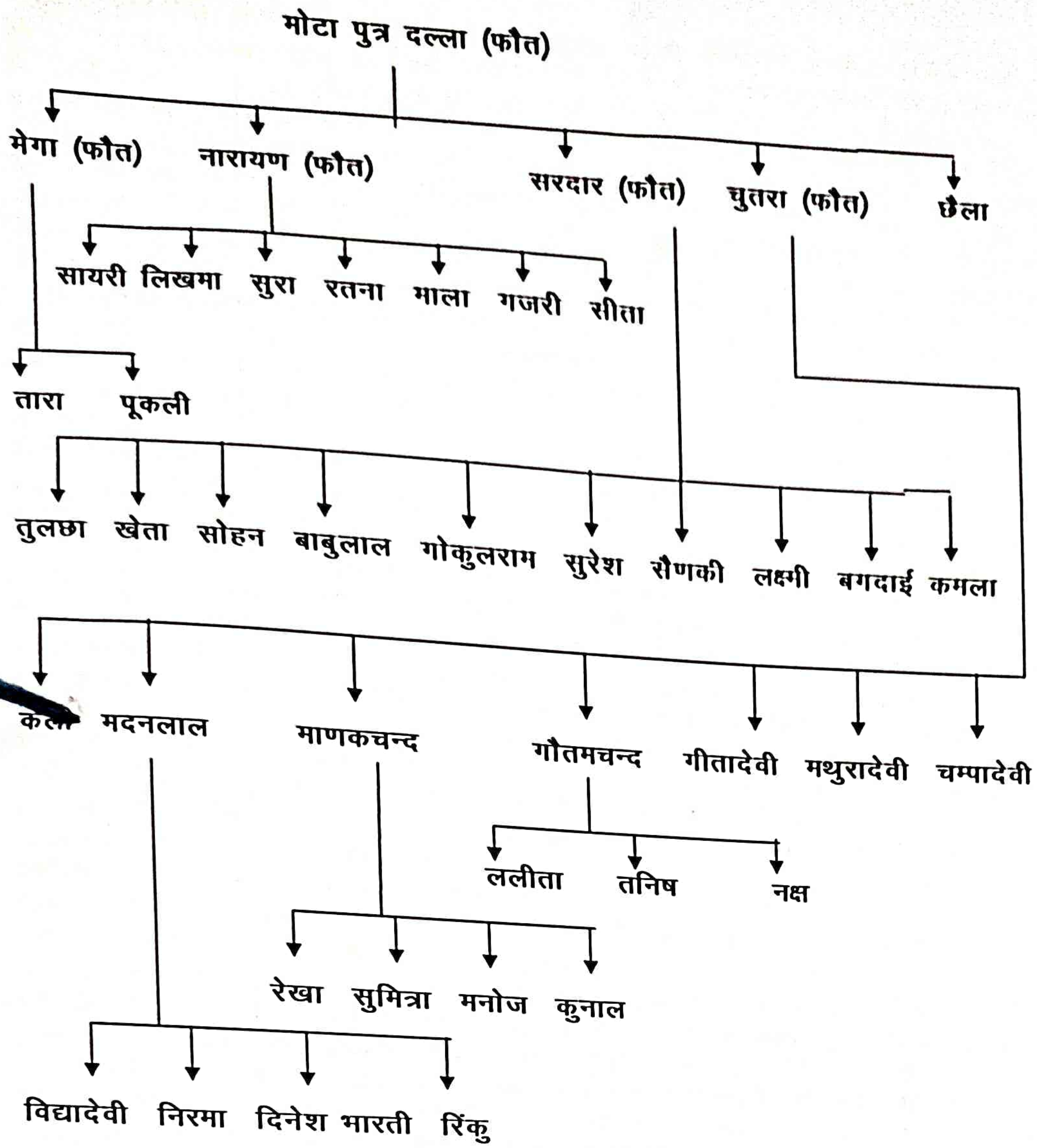

वर्ष 1975 में मोटा, नारायण व मेगा फौत होने पर तीनो का नामान्तकरण एक साथ भरा गया, जो नामान्तकरण संख्या 486 है, जिसमें सरदार, चुतरा, छैला, मघा व नारायण का हिस्सा बराबर दर्शित किया है, उपरोक्त नामान्तकरण विरासत में भरा गया है, जो वर्तमान में विध्यमान है, जिसके अनुसार वाद के पद संख्या 1 एक में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 23 का 1/2वा हिस्सा आता है, जो वृक्ष वंशावली के अनुसार मेगा का [redacted] हिस्सा, नारायण का 1/10 हिस्सा, सरदार का 1/10 हिस्सा, चुतरा का 1/10 हिस्सा आता है, मेगा, नारायण, सरदार व चुतरा का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण केवल मात्र उसके ट्रस्टी है, उक्त भूमि प्रतिवादीगण को बेचान, बक्शीश एवं हस्तान्तकरण करने का अधिकार नही है, प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4,5 ने प्रतिवादी संख्या 21 को 03 बीघा 14 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 22.06.2018 को बेचान किया था।उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 21 ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 17 से 23 की संयुक्त परिवार की आय से खरीद किया है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 17 से 23 का बराबर हिस्सा व हक अधिकार है, जिसे संयुक्त परिवार की सम्पति अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 17 से 23 की संयुक्त परिवार की सम्पति घोषित कर उसमें से वादीगण को एवं प्रतिवादीगण संख्या 17 से 23 को बराबर अंश दिया जाना आवश्यक है। वर्णित भूमि एवं संयुक्त परिवार द्वारा दिनांक 22.06.2018 को खरीद की गयी भूमि में वादी संख्या 1 से लगायत 5 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 से 23 के साथ आता है, जिसके अनुसार उक्त खाते में 210.1998 का 7वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 21 के हिस्से में आता है, वृक्ष वंशावली के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (ब्यावर)

अनुसार प्रतिवादी संख्या 22 एवं वादीगण संख्या 1 से लगायत 5 का प्रत्येक का हिस्सा 361/23310वां हिस्सा आता है, जिसे वादीगण संख्या 1 से लगायत 5 प्राप्त करने के अधिकारी है, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 22 के साथ वादीगण संख्या 6,7,8,9 का हिस्सा आता है, जो प्रत्येक का 361/116550वां हिस्सा है, जिसे वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 23 गौतमचन्द के साथ वादीगण 10,11,12 का हिस्सा आता है, जो प्रत्येक का 361/93240वां हिस्सा आता है, जिसे वादीगण पुश्तैनी समय से कब्जा काश्त करते आ रहे है, उक्त भूमि सामलाती भूमि है, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज है, उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 21 मदनलाल, प्रतिवादी संख्या 22 माणकचन्द को उक्त भूमि बैचान, हस्तान्तरण करने का हक अधिकार नही है, प्रतिवादी संख्या 22 माणकचन्द ने अपना गलत हिस्सा बताकर दिनांक 01.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 24 मंजुदेवी के पक्ष में गलत बैचान कर उसका पंजीयन उपपंजीयन कार्यालय रायपुर में करवाया, जो पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 233 पृष्ठ संख्या 182 के कम संख्या 201903073102211, अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 975 के पृष्ठ संख्या 157 से 166 पर चस्पा किया गया। उक्त बैचाननामा वादीगण के हक अधिकार के विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभावशून्य है, जिसे वादगण अपने हक हिस्से तक अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाने के अधिकारी है। यदि उक्त बैचाननामा दिनांक 01.07.2019 निरस्त नही किया जाता है, तो वादीगण को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नही होगी, इसलिये वादीगण अपने हक अधिकारो की सुरक्षा हेतू एवं उक्त बैचाननामें को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाने हेतू श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। दिनांक -01.07.2019 को गलत एवं अवैध रूप से किये गये बैचान के आधार पर प्रतिवादी संख्या 23 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 4136 दिनांक 18.06.2020 भी अवैध एवं प्रभावशून्य है, उक्त गलत नामान्तकरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 21 व 23 ने गलत दिशा बताकर गलत आंकलन करके अतिरिक्त जमीन बताकर प्रतिवादी संख्या 24 को बैचान कर उसका बैचाननामा उपपंजीयन कार्यालय रायपुर में पंजीकृत करवाया, जो पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 306, पृष्ठ संख्या 7 कम संख्या 202003073100849 पर पंजिबद्ध किया गया, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1023 पृष्ठ संख्या 395 से 407 पर चस्पा किया गया, जो बैचाननामा दिनांक 20.03.2020 को पंजीकृत किया गया, उक्त बैचाननामा अवैध एवं प्रभावशून्य है, जिसे वादीगण अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाने के अधिकारी है। उक्त बैचाननामा दिनांक 20.03.2020 वादीगण के हितो व अधिकारो के विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभावशून्य किये जाने योग्य है। यदि बैचाननामा दिनांक 01.07.2019 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 293, पृष्ठ संख्या 183 कम संख्या 201903073101211 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 975 के पृष्ठ संख्या 157 से 165 पर चस्पा किये गये बैचाननामा एवं दिनांक 20.03.2020 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 306, पृष्ठ संख्या 7 कम संख्या 202003073100849 पर पंजिबद्ध किया गया, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1023 पृष्ठ संख्या 395 से 407 पर चस्पा किये गये बैचाननामे को अवैध एवं प्रभावशून्य नही किया जाता है, तो वादीगण को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत मे सम्भव नही होगी, इसलिये वादीगण अपने हक अधिकारो की सुरक्षा हेतू यह बाबत घोषणा एवं बैचाननामा दिनांक 01.07.2019 एवं दिनांक 20.03.2020 को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करने हेतू श्रीमान के समक्ष पेश कर रहे है। वाद ग्रस्त भूमि पुश्तैनी एवं संयुक्त परिवार की होने से वादीगण ने प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास किया, कि उनके पैतृक हिस्से अनुसार उनका नाम खातेदारी में दर्ज करवा देवे, कुछ समय तक तो समस्त परिवारजन टालम टोल करते रहे, तथा वादीगण को बिना बनाये दिनांक 01.07.2019 व दिनांक 20.03.2020 को प्रतिवादी संख्या 21 व 22 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि बैचान कर दी, तथा बार- बार निवेदन करने पर भी दिनांक 20.02.2023 को उक्त समस्त बैचाननामें अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाने एवं खातेदारी में नाम दर्ज करवाने से मना कर दिया, तब वादीगण ने समस्त राजस्व रिकोर्ड दिनांक 13.02.2023 को प्राप्त किया, एवं नामान्तकरण संख्या 3442, 3891,4136,3867,3975,303 व 516 दिनांक 20.02.2023 को प्राप्त किये पुश्तैनी नामान्तकरण संख्या 486 दिनांक 25.04.1975 की नकल दिनांक 21.02.2023 को प्राप्त की, तब वादीगण को जानकारी हुई, कि नामान्तकरण संख्या 4136 दिनांक 18.06.2020 बिल्कुल गलत भरा गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। विरासत नामान्तकरण संख्या 67, 68 दिनांक 10.05.2018 को स्वीकृत हुआ है, उक्त नामान्तकरण में वादीगण को जान बुझकर पिछे रख दिया, इसलिये नामान्तकरण संख्या 4136 दिनांक 18.06.2020 एवं प्रकियाधीन नामान्तकरण संख्या 4299 अवैध एवं प्रभावशून्य किये जाने योग्य है, एवं बैचाननामा दिनांक 01.07.2019 व 20.03.2020 का अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किया जाकर वादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या- 26 उपपंजीयन अधिकारी है, जिनके यहाँ पंजीकृत

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

विक्रय विलेख पंजीयन होता है, तथा प्रतिवादी संख्या– 27 राजस्व जमीन के लैन होल्डर है, तथा प्रतिवादी संख्या– 28 के प्रतिवादी संख्या– 26 व 27 अधिनस्थ कर्मचारी है, इसलिये प्रतिवादी संख्या– 26,27,28 उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे वाद में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या– 26,27,28 राज्य सरकार के अधिकारीगण है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा– 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन नोटिस देने व इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रतिवादीगण गलत बैचाननामा के आधार पर वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल आदि कर देगे, तथा उक्त अवैध व प्रभावशून्य बैचाननामा के आधार पर उक्त जमीन को आगे से आगे बैचान कर दिगर व्यक्तियो को कब्जा करवा देगे, जिससे वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी तरह सम्भव नही होगी, तथा वादीगण को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। इसलिये वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये बिना नोटिस दिये ही श्रीमान से अनुमति लेकर यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। बिनायदावा दिनांक 01.07.2019 व दिनांक 20.03.2020 को प्रतिवादी संख्या 21 व 22 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि बैचान करने एवं दिनांक 13.02.2023 को राजस्व की नकले प्राप्त करने, दिनांक 20.02.2023 को वादीगण द्वारा उक्त दोनो बैचाननामे को अवैध एवं प्रभावशून्य निरस्त करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने तथा वादीगण को उनके हक हिस्से की जमीन से बेदखल आदि करने की ऐलानिया धमकिया देने पर बमुकाम कुशालपुरा, तहसील– रायपुर, जिला– पाली में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने से वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है। मालियत वाद बाबत् दो बैचाननामा को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करने, नामान्तकरण को निरस्त करने, घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा की 200–200 रूपये कायम की जाती है, जिस पर निर्धारित न्याय शुल्क 10/– रूपये वाद के साथ सलग्न पेश हैं। वाद ग्रस्त सम्पति श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित है, पक्षकारान का निवास स्थान, वाद मूल्य, वाद की किस्म के आधार पर यह वाद माननीय न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 24 सादिर फरमायी जाकर आदेश दिया जावे कि प्रतिवादी संख्या 21 के नाम दिनांक 22.06.2018 को पुस्तक 1, जिल्द संख्या 282 में पृष्ठ संख्या 88 कम संख्या– 201803073101130 पर पंजिबद्ध किया गया, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 929 के पृष्ठ संख्या 217 से 226 पर चस्पा किये गये बैचाननामे की खरिद सुदा भूमि को संयुक्त परिवार की घोषित करते हुये वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 17 से 23 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित फरमावे। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश फरमाया जावे कि वाद के पद संख्या 6 में दर्शित हिस्से के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 17 से 23 का हिस्सा घोषित किया जाकर बतौर खातेदार दर्ज करवाने का आदेश फरमावे। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह घोषित किया जावे कि वाद पत्र के पद संख्या 6 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 21 व 22 व 24 द्वारा खरीद एवं बैचान किये गये दस्तावेज दिनांक 01.07.2019 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 293, पृष्ठ संख्या 183 कम संख्या 201903073101211 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 975 के पृष्ठ संख्या 157 से 165 पर चस्पा किये गये बैचाननामा एवं दिनांक 20.03.2020 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 306, पृष्ठ संख्या 7 कम संख्या 202003073100849 पर पंजिबद्ध किया गया, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1023 पृष्ठ संख्या 395 से 407 पर चस्पा किये गये, जो दोनो दस्तावेज वादीगण के हितो व अधिकारो के विरूद्ध होने से उक्त दोनो दस्तावेज को वादीगण के हको के विरूद्ध अवैध व प्रभावशून्य घोषित फरमाया जावे, तथा नामान्तकरण संख्या 4136 दिनांक 18.06.2020 एवं प्रकियाधीन नामान्तकरण संख्या 4299 अवैध एवं प्रभावशून्य किये जाने का आदेश फरमावे। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वाद के पद संख्या– 1 एक में वर्णित वादीगण की सयुक्त पैतृक कृषि भूमि में वादीगण के हक हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न नही करे, और ना ही वादीगण को कब्जे से बेदखल आदि करे, तथा शून्य एवं अस्तित्वहिन दस्तावेज के आधार पर जमीन का आगे से आगे बैचान बक्शीश नही करे, इसके लिये प्रतिवादीगण स्वयं व उसके परिवार के सदस्यगण नौकर चाकर हाली ऐजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावे। दौराने वाद अगर वादीगण को कब्जे से बेदखल आदि कर दिया जाता है, तो जरिये आज्ञापक निषेधाज्ञा के पूनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। वाद का सम्पूर्ण खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य दिगर दादरसी मुफिद अगर कोई हो तो वादीगण के पक्ष में जारी फरमावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

विक्रय विलेख पंजीयन होता है, तथा प्रतिवादी संख्या– 27 राजस्व जमीन के लैन होल्डर है, तथा प्रतिवादी संख्या– 28 के प्रतिवादी संख्या– 26 व 27 अधिनस्थ कर्मचारी है, इसलिये प्रतिवादी संख्या– 26,27,28 उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे वाद में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या– 26,27,28 राज्य सरकार के अधिकारीगण है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा– 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन नोटिस देने व इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रतिवादीगण गलत बैचाननामा के आधार पर वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल आदि कर देगे, तथा उक्त अवैध व प्रभावशून्य बैचाननामा के आधार पर उक्त जमीन को आगे से आगे बैचान कर दिगर व्यक्तियो को कब्जा करवा देगे, जिससे वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी तरह सम्भव नही होगी, तथा वादीगण को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। इसलिये वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये बिना नोटिस दिये ही श्रीमान से अनुमति लेकर यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। बिनायदावा दिनांक 01.07.2019 व दिनांक 20.03.2020 को प्रतिवादी संख्या 21 व 22 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि बैचान करने एवं दिनांक 13.02.2023 को राजस्व की नकले प्राप्त करने, दिनांक 20.02.2023 को वादीगण द्वारा उक्त दोनो बैचाननामे को अवैध एवं प्रभावशून्य निरस्त करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने तथा वादीगण को उनके हक हिस्से की जमीन से बेदखल आदि करने की ऐलानिया धमकिया देने पर बमुकाम कुशालपुरा, तहसील– रायपुर, जिला– पाली में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने से वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है। मालियत वाद बाबत् दो बैचाननामा को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करने, नामान्तकरण को निरस्त करने, घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा की 200–200 रूपये कायम की जाती है, जिस पर निर्धारित न्याय शुल्क 10/– रूपये वाद के साथ सलग्न पेश हैं। वाद ग्रस्त सम्पति श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित है, पक्षकारान का निवास स्थान, वाद मूल्य, वाद की किस्म के आधार पर यह वाद माननीय न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 24 सादिर फरमायी जाकर आदेश दिया जावे कि प्रतिवादी संख्या 21 के नाम दिनांक 22.06.2018 को पुस्तक 1, जिल्द संख्या 282 में पृष्ठ संख्या 88 कम संख्या– 201803073101130 पर पंजिबद्ध किया गया, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 929 के पृष्ठ संख्या 217 से 226 पर चस्पा किये गये बैचाननामे की खरिद सुदा भूमि को संयुक्त परिवार की घोषित करते हुये वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 17 से 23 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित फरमावे। डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश फरमाया जावे कि वाद के पद संख्या 6 में दर्शित हिस्से के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 17 से 23 का हिस्सा घोषित किया जाकर बतौर खातेदार दर्ज करवाने का आदेश फरमावे। डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह घोषित किया जावे कि वाद पत्र के पद संख्या 6 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 21 व 22 व 24 द्वारा खरीद एवं बैचान किये गये दस्तावेज दिनांक 01.07.2019 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 293, पृष्ठ संख्या 183 कम संख्या 201903073101211 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 975 के पृष्ठ संख्या 157 से 165 पर चस्पा किये गये बैचाननामा एवं दिनांक 20.03.2020 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 306, पृष्ठ संख्या 7 कम संख्या 202003073100849 पर पंजिबद्ध किया गया, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1023 पृष्ठ संख्या 395 से 407 पर चस्पा किये गये, जो दोनो दस्तावेज वादीगण के हितो व अधिकारो के विरूद्ध होने से उक्त दोनो दस्तावेज को वादीगण के हको के विरूद्ध अवैध व प्रभावशून्य घोषित फरमाया जावे, तथा नामान्तकरण संख्या 4136 दिनांक 18.06.2020 एवं प्रकियाधीन नामान्तकरण संख्या 4299 अवैध एवं प्रभावशून्य किये जाने का आदेश फरमावे। डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वाद के पद संख्या– 1 एक में वर्णित वादीगण की सयुक्त पैतृक कृषि भूमि में वादीगण के हक हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न नही करे, और ना ही वादीगण को कब्जे से बेदखल आदि करे, तथा शून्य एवं अस्तित्वहिन दस्तावेज के आधार पर जमीन का आगे से आगे बैचान बक्शीश नही करे, इसके लिये प्रतिवादीगण स्वयं व उसके परिवार के सदस्यगण नौकर चाकर हाली ऐजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावे। दौराने वाद अगर वादीगण को कब्जे से बेदखल आदि कर दिया जाता है, तो जरिये आज्ञापक निषेधाज्ञा के पूनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। वाद का सम्पूर्ण खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य दिगर दादरसी मुफिद अगर कोई हो तो वादीगण के पक्ष में जारी फरमावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई हैं। प्रतिवादीगण संख्या 08 से 16 एवं 18 से 25 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 एवं 17 की ओर से जबावदावा मय वकालतनामा श्री जसवंत सिंह सांखला ने प्रस्तुत किया है। जो पत्रावली संलग्न किया गया हैं। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के दो प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो पत्रावली संलग्न किये गये हैं, प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र में आवश्यक संसोधन किये जाने के आदेश दिये गये हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 एवं 17 के मध्य राजीनामा प्रस्तुत किया है। जों पत्रावली संलग्न कर राजीनाम तस्दीक किया गया हैं। वादीया 01 विद्यादेवी, वादीया संख्या 02 निरमा एवं वादी संख्या 03 दिनेश ने जरिये अधिवक्ता द्वारा मुख्य साक्ष्यवादी का शपथ पत्र पेश किये गये हैं जिसकी प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता को दी गई एवं पत्रावली संलग्न किये गये हैं। उक्तगण के बयान कलमबद्व कर पत्रावली संलग्न किये गये हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 23 की पुश्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम कुशालपुरा, पटवार हल्का कुशालपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पिपलियां कलॉ, तह0 रायपुर, जिला ब्यावर मे खाता संख्या 509/183 खसरा संख्या 338, 339, 344 कुल रकबा 10.1657 हैक्टेयर, खाता संख्या 508/183 खसरा संख्या 341 कुल रकबा 5.8760 हैक्टेयर व खाता संख्या 196/183 खसरा संख्या 340 रकबा 0.1295 हैक्टेयर भूमि आई हुई हैं। वर्णित भूमि वादीगण के पूर्वज मोटा पुत्र दल्ला की है, नारायण पुत्र भीका नाम का कोई व्यक्ति नही रहा है। नारायण भी मोटा का पुत्र था। उक्त कृषि भूमि मे वादी 1 से लगायत 5 प्रत्येक का 361/23310 हिस्सा, वादी संख्या 6 लगायत 9 प्रत्येक का 361/116550 हिस्सा, वादीगण संख्या 10 का 361/93240 हिस्सा, वादीगण संख्या 11, 12 प्रत्येक का 361/93240 हिस्सा आता है, उक्त हिस्से अनुसार वादीगण मौके पर काबिज है, तथा कब्जा काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 23 की वंश वंशावली जो कि वाद पत्र के पद सं0 3 मे दी गई है वह सही है। वर्ष 1975 मे मोटा, नारायण व मेगा फौत होने पर तीनो का नामान्तरण एक साथ भरा गया, जो नामान्तरण संख्या 486 है, जिसमे सरदार, चुतरा, छैला, मघा व [redacted] का हिस्सा बराबर दर्शित किया है, उपरोक्त नामान्तरण विरासत मे भरा गया है, जो वर्तमान मे विद्यमान है, जिसके अनुसार वाद के पद सं0 1 मे वर्णित कृषि भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 23 का 1/2 वा हिस्सा आता है जो वंश वंशावली के अनुसार मेगा का 1/10 हिस्सा, नारायण का 1/10 हिस्सा, सरदार का 1/10 हिस्सा, चुतरा का 1/10 हिस्सा आता है, मेगा, नारायण, सरदार व चुतरा का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण केवल मात्र उसके ट्रस्टी है, उक्त भूमि प्रतिवादीगण को बैचान, बख्शीश एवं हस्तान्तरण करने का अधिकार नही है, प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4,5 ने प्रतिवादी संख्या 21 को 3 बीघा 14 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 22.06.2018 को बैचान की। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 21 ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 17 से 23 की संयुक्त परिवार की आय से खरीद किया है, जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 17 से 23 का बराबर हिस्सा व हक अधिकार है, जिसे संयुक्त परिवार की सम्पति अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 17 से 23 की संयुक्त परिवार की सम्पति घोषित कर उसमे से वादीगण को एवं प्रतिवादीगण संख्या 17 से 23 को बराबर अंश दिया जाना आवश्यक है। वर्णित भूमि एवं संयुक्त परिवार द्वारा दिनांक 22.06.2018 को खरीद की गई भूमि मे वादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 से 23 के साथ आता है, जिसके अनुसार उक्त खाते मे 210.1998 का 7 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 21 के हिस्से मे आता है, वृक्ष वंशावली के अनुसार प्रतिवादी संख्या 22 एवं वादीगण संख्या 1 लगायत 5 का प्रत्येक का हिस्सा 361/23310 वां हिस्सा आता है, जिसे वादीगण संख्या 1 से लगायत 5 प्राप्त करने के अधिकारी है, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 22 के साथ वादीगण संख्या 6,7,8,9 का हिस्सा आता है, जो प्रत्येक का 361/116550 वां हिस्सा है, जिसे वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 23 गौतमचन्द के साथ वादीगण 10,11,12 का हिस्सा आता है, जो प्रत्येक का 361/93240 वां हिस्सा आता है, जिसे वादीगण पुश्तैनी [redacted] कब्जा काश्त करते आ रहे है, उक्त भूमि शामलाती भूमि है, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सयुक्त रुप से काबिज है, उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 21 मदनलाल, प्रतिवादी संख्या 22 माणकचन्द को उक्त भूमि बैचान, हस्तान्तरण करने का हक अधिकार नही है, प्रतिवादी सं0 22 माणकचन्द ने अपना गलत हिस्सा बताकर दिनांक 01.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 24 मंजुदेवी के पक्ष मे गलत बैचान कर उसका पंजीयन उपपंजीयन कार्यालय रायपुर मे करवाया, जो पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 233 पृष्ठ संख्या 1821 के कम संख्या 201903073102211, अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 975 के पृष्ठ संख्या 157 से 166 पर चस्पा किया गया। उक्त बैचाननामा वादीगण के हक अधिकार के विरुद्ध होने से अवैध एवं प्रभावशुन्य है, जिसे वादीगण अपनू हक हिस्सू तक अवैध एवं प्रभावशुन्य घोषित करवाने के अधिकारी है। यदि उक्त बैचाननामा दिनांक 01.07.2019 निरस्त नही किया जाता है, तो वादीगण को अपनू हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत मे सम्भव नही होगी। दिनांक 01. 07.2019 को गलत एवं अवैध रुप से किये गये बैचान के आधार पर प्रतिवादी सं0 23 के पक्ष मे नामान्तरण संख्या 4136 दिनांक 18.06.2020 भी अवैध एवं प्रभावशुन्य है, उक्त गलत नामान्तरण के आधार पर प्रतिवादी सं0 21 व 23 ने गलत दिशा बताकर गलत आकलन करके अतिरिक्त जमीन बताकर प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

संख्या 24 को बैचान कर उसका बैचाननामा उपपंजीयन कार्यालय रायपुर मे पंजीकृत करवाया, जो पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 306, पृष्ट संख्या 7 कम संख्या 202003073100849 पर पंजीबद्ध किया गया, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1023, पृष्ठ संख्या 395 से 407 पर चस्पा किया गया, जो बैचाननामा दिनांक 20.03.2020 को पंजीकृत किया गया, उक्त बैचाननामा अवैध एवं प्रभावशून्य है, जिसे वादीगण अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाने के अधिकारी है। उक्त बैचाननामा दिनांक 20.03.2020 वादीगण के हितो व अधिकारो के विरुद्ध होने से अवैध एवं प्रभावशून्य किये जाने योग्य है। यदि बैचाननामा दिनांक 01.07.2019 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 293, पृष्ठ संख्या 183 कम संख्या 201903073101211 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 975 के पृष्ठ संख्या 157 से 165 पर चस्पा किये गये बैचाननामा एवं दिनांक 20.03.2020 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 306, पृष्ठ संख्या 7 कम संख्या 202003073100849 पर पंजीबद्ध किया गया, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1023 पृष्ठ संख्या 395 से 407 पर चस्पा किये गये बैचाननामे को अवैध एवं प्रभावशून्य नही किया जाता है, तो वादीगण को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत मे सम्भव नही होगी, इसीलिए वादीगण अपने हक अधिकारो की सुरक्षा हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत किया। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी एवं संयुक्त परिवार की होने से वादीगण ने प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास किया, कि उनके पैतृक हिस्से अनुसार उनका नाम खातेदारी मे दर्ज करवा देवे, कुछ समय तक तो समस्त परिवारजन टालम टोल करते रहे, तथा वादीगण को बिना बताये दिनांक 01.07.2019 व दिनांक 20.03.2020 को प्रतिवादी संख्या 21 व 22 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि बैचान कर दी, तथा बार बार निवेदन करने पर भी दिनांक 20.02.2023 को उक्त समस्त बैचाननामे अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाने एवं खातेदारी मे नाम दर्ज करवाने से मना कर दिया, तब वादीगण ने समस्त राजस्व रेकार्ड दिनांक 13.02.2023 को प्राप्त किया, एवं नामान्तरण संख्या 3442, 3891, 4136, 3867, 3975, 303 व 516 दिनांक 20.02.2023 को प्राप्त किये पुश्तैनी नामान्तरण संख्या 486 दिनांक 25.04.1975 की नकल दिनांक 21.02.2023 को प्राप्त की, तब वादीगण को जानकारी हुई, कि नामान्तरण संख्या 4136 दिनांक 18.06.2020 बिल्कुल गलत भरा गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। विरासत नामान्तरण संख्या 67, 68 दिनांक 10.05.2018 को स्वीकृत हुआ है, उक्त नामान्तरण संख्या 4136 दिनांक 18.06.2020 एवं प्रकियाधीन नामान्तरण संख्या 4299 अवैध एवं प्रभावशुन्य किये जाने योग्य है, एवं बैचाननामा दिनांक 01.07.2019 व 20.03.2020 का अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किया जाकर वादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने का वादकारण दिनांक 01.07.2019 व दिनांक 20.03.2020 को प्रतिवादी संख्या 21 व 22 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि बैचान करने एवं दिनांक 13.02.2023 को राजस्व की नकले प्राप्त करने, दिनांक 20.02.2023 को वादीगण द्वारा उक्त दोनो बैचाननामे को अवैध एवं प्रभावशुन्य निरस्त करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने तथा वादीगण को उनके हक हिस्से की जमीन से बेदखल आदि करने की ऐलानिया धमकीया देने पर उत्पन्न हुआ। दस्तावेजो पर प्रदर्श मार्क बरवक्त साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष अंकित किये जावेंगे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह शून्य की गई हैं। दस्तावेज प्रदर्श किये गये हैं। प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करना चाहता हूं एवं वादपत्र पर बहस करना चाहता हूं। उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजों एंव वादी द्वारा प्रस्तुत बयानात आदि के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के उपरोक्त कृषि भूमियो में प्रतिवादी संख्या 21 मदनलाल के नाम दिनांक 22.06.2018 को पुस्तक 1, जिल्दसंख्या 282 में पृष्ठ संख्या 88 कम संख्या 201803073101130 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 929 के पृष्ठ संख्या 217 से 226 पर चस्पा किये गये बैचाननामे की खरीद सुदा भूमि को संयुक्त परिवार की घोषित करते हुए वृक्ष वंशावली अनुसार वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 17 से 23 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित एवं प्रतिवादीगण संख्या 21 से 24 द्वारा किये गये बेचाननामों के आधार पर भरे गये नामान्तरकरणों को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 17 से 20 तक के हितो तक प्रभावशून्य घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम कुशालपुरा, पटवार हल्का– कुशालपुरा, की भूमि आई हुई हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खाता संख्या नया /पुराना	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
509/183	338	5.0990	चाही दोयम
	339	0.9065	चाही दोयम
	344	4.1602	चाही दोयम
	कुल खसरा 03 कुल रकबा	10.1657	

खाता संख्या नया /पुराना	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
508/183	341	5.8760	चाही दोयम

खाता संख्या नया /पुराना	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
196/183	340	0.1295	गै.मु. बेरा

वादग्रस्त आराजी के उपरोक्त कृषि भूमियो में प्रतिवादी संख्या 21 मदनलाल के नाम दिनांक 22.06.2018 को पुस्तक 1, जिल्दसंख्या 282 में पृष्ठ संख्या 88 कम संख्या 201803073101130 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 929 के पृष्ठ संख्या 217 से 226 पर चस्पा किये गये बैचाननामे की खरीद सुदा भूमि को संयुक्त परिवार की घोषित करते हुए वृक्ष वंशावली अनुसार वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 17 से 23 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादीगण संख्या 21 से 24 द्वारा किये गये बेचाननामों के आधार पर भरे गये नामान्तरकरणों को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 17 से 20 तक के हितो तक प्रभावशून्य घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादी के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तदानुसार डिकी पर्चा जारी किया जावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को तहरीर के साथ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)